राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013 जयपुर, दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव, 2019 हेतु मध्य प्रदेश राज्य में दिनांक 29.04.2019, 06.05.2019, 12.05.2019 एवं 19.05.2019 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया है। इन दिवसों में से राजस्थान से लगते हुए सीमावर्ती जिलों में दिनांक 12 एवं 19 मई, 2019 को मतदान होना है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, सांझापुर, उज्जैन, अगर, झाबुआ, नीमच, गुना, राजगढ, मंदसौर एवं रतलाम की सीमाएं राजस्थान राज्य से लगती है। इनमें से दिनांक 12.05.2019 को श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना एवं राजगढ़ जिले एवं दिनांक 19.05.2019 को सांझापुर, उज्जैन, अगर, झाबुआ, नीमच, मंदसौर एवं रतलाम जिलों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हैं।

अतः **मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगती हुई राजस्थान राज्य के 3 किलोमीटर क्षेत्र में निम्नानुसार सूखा दिवस घोषित** किया जाता है :-

क्र.सं.	मतदान तिथि	अवधि
1.	12 मई, 2019	दिनांक 10.05.2019 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 12.05.2019 को सायं 6.00 बजे तक
2.	19 मई, 2019	दिनांक 17.05.2019 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 19.05.2019 को सायं 6.00 बजे तक

पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी 'सूखा दिवस' घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(औंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22)निर्वा./2018/4032 दिनांक 09.04.2019 के संदर्भ में।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल को आपके पत्र क्रमांक 10-क/चार/2019/निर्वा. व्यय/निर्देश/7315 दिनांक 04.04.2019 के संदर्भ में।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
6. संभागीय आयुक्त, अजमेर, कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर।
7. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
8. जिला कलेक्टर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ, प्रतापगढ, कोटा, बारां एवं झालावाड़।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अजमेर, कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ, प्रतापगढ, कोटा, बारां एवं झालावाड़।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव